अधिकारी

कार्यालय उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

2/120/2020 तारीख रजू......................

कोमल वगैरा **बनाम** कवँरपाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे बकील सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 864, 888, 889, 890, 900, 901, 1917, 534/2, 527, 987, 529, 537, 539, 863, वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 06.10.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 06.10.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
6-10-20	[illegible] रजिस्टर्ड ए०डी०/P.O. [illegible] CM 272 पत्रावली दिनांक 28-1-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25-1-21	वकील प्रार्थी ......उपस्थित। अन्तरिम आदेश दिनांक 4-8-20 की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 27/3/21 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/2/23	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा आज डिफेक्ट की तामील हेतु तलबाना पेश नहीं किया गया है। इस बाबत प्रार्थी को पूर्व में कई मौके प्रदान किये जा चुके हैं अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र अदम वकील प्रार्थी के तलबाना के अभाव में इसी स्टेज पर खारिज (डिफॉल्ट में) किया जाता है पत्रावली मौका मुताबिक होकर नत्थी हो बाद तकमील [illegible] दाखिल [illegible] होवे।
	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०